नाबार्ड वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के लिए ईओआई आमंत्रित करता है.

<u>दो आर्थिक दैनिकों और ईपीडबल्यू में संक्षिप्त विज्ञापन</u>

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मुंबई

नाबार्ड ग्रामीण परिवारों के वित्तीय समावेशन और आजीविका संबंधी पहलुओं की स्थिति को जानने के लिए "ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" करने के लिए सक्षम एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है. कृपया विस्तृत विज्ञापन www.nabard.org पर देखें. अपनी रुचि की अभिव्यक्ति की हार्ड प्रति सीलबंद लिफाफे में "मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग (डीईएआर), 24-सी, नाबार्ड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051" को भेजें. लिफाफे पर "ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति" लिखा होना चाहिए. सॉफ्ट प्रति ईमेल से nafis@nabard.org और nabnafis@gmail.com पर भेजें. अंतिम तिथि: 24 सितंबर 2015.

<u>नाबार्ड की वेबसाइट के लिए विस्तृत विज्ञापन</u>

"नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" के संचालन के लिए
रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के पत्र के आमंत्रण का नोटिस

ईओआई संदर्भ : नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण - 2015-16, अगस्त 2015

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) "नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" के संचालन के लिए पात्र एजेंसियों से उनकी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्रस्तुति के लिए पत्र आमंत्रित करता है.

"वित्तीय समावेशन के सर्वेक्षण का संचालन"

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए यह आमंत्रण ऐसी पात्र एजेंसियों के चयन के लिए है जिनसे नाबार्ड द्वारा उक्त सर्वेक्षण कराए जाने के लिए प्रस्ताव मंगाए जाएंगे. एजेंसी के पास नाबार्ड के लिए उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जरूरी व्यवस्था करने और सेवा देने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा, पद्धति और प्रौद्योगिकी, उचित योग्यता और अनुभव से युक्त कार्मिक होने चाहिए.

ईओआई मानदंडों और प्रस्ताव के अनुरोध के आधार पर चुनी गई एजेंसियों के बीच से दो हिस्सों वाली बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर ठेका दिया जाएगा.

इस ईओआई के जवाब **मूल + एक प्रति** में प्रस्तुत किए जाएं.

विधिवत भारी हुई रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), लिखित रूप में मुहरबंद लिफाफे में अधिक से अधिक 24 सितंबर 2015 को 1700 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाए. लिफाफे पर लिख होना चाहिए - "ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति". सॉफ्ट प्रति भी 24 सितंबर 2015 तक nafis@nabard.org और nabnafis@gmail.com पर भेज दी जाए.

केवल इस ईओआई में सूचीबद्ध मानदंडों के आधार पर चुनी गई एजेंसियों को ही नाबार्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफ़पी) खरीदने और उक्त सर्वेक्षण के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा.

इच्छुक एजेंसियों से अनुरोध है कि सहायक दस्तावेजों/ प्रमाणों के साथ अपना ईओआई निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें.

सर्वेक्षण की अपेक्षाओं, चयन के मानदंडों, आवेदन पात्र के फॉर्मों से युक्त ईओआई अनुबंध I में दिया गया है.

नीचे दिए गए पते पर ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 24 सितंबर 2015 को 1700 बजे तक

मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग (डीईएआर)
24 - सी, नाबार्ड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051.

ईमेल : nafis@nabard.org (मुख्य)
nabnafis@gmail.com (वैकल्पिक)

अनुबंध - I

रुचि की अभिव्यक्ति

"ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण"

के संचालन के लिए

एजेंसियों का चयन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग (डीईएआर),
24 - सी, नाबार्ड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

nafis@nabard.org
nabnafis@gmail.com

1. परिचय

1.1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रभावी ऋण सहायता, अनुषंगी सेवाओं, संस्था विकास और अन्य नवोन्मेषी प्रयासों के माध्यम से दीर्घकालिक और समतामूलक कृषि और ग्रामीण समृद्धि के संवर्धन के लिए की गई थी. अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में नाबार्ड वित्तीय समावेशन के लिए विविध प्रयास कर रहा है.

1.2 नाबार्ड आधार स्तर पर वित्तीय समावेशन के विविध पहलुओं की स्थिति की जानकारी के लिए देश के सभी राज्यों में ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण कराना चाहता है. पात्र एजेंसियां इस सर्वेक्षण के संचालन के लिए अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत कर सकती हैं. चुनी गई एजेंसियों को बिड से पहले एक बैठक में बुलाया जाएगा जिसमें प्रस्तावित सर्वेक्षण के विस्तृत विवरण, मुख्य प्रश्नों, संदर्भ विषय (टीओआर) और संकेतकों की सूची की जानकारी दी जाएगी.

1.3 उसके बाद चुनी हुई एजेंसियों को प्रस्ताव के अनुरोध जारी किए जाएंगे जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

1.4 एजेंसी का अंतिम चयन दो चरणों में होगा. पहले चरण में नाबार्ड तकनीकी बिड की संवीक्षा करेगा. दूसरे चरण में उन एजेंसियों के वित्तीय बिड का मूल्यांकन किया जाएगा जो पहले चरण में अर्हता प्राप्त करेंगी.

2. प्रयोजन

2.1 रुचि की अभिव्यक्ति का प्रयोजन *टर्नकी बेसिस* पर “ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण” करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों का चयन करना है. इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इस कार्य के दायरे और उद्देश्य के बारे में निदर्शी जानकारी प्रदान करना है. बिड करने वाले संगठनों की विस्तृत शर्तों, निबंधनों और मानदंडों की जानकारी प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफ़पी) में दी

जाएगी, जो केवल इस ईओआई दस्तावेज़ में दिए गए चयन मानदंडों के अनुसार चुनी जाने वाली एजेंसी/ एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा.

2.2 चुनी गई एजेंसी नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करेगी और सर्वेक्षण को गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी.

3. प्रस्ताव

सर्वेक्षण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

3.1 **व्याप्ति :** वित्तीय समावेशन से जुड़े पहलू. देश के 29 राज्यों के लगभग 40,000 ग्रामीण परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा.

3.2 **बारंबारता :** सर्वेक्षण समय समय पर दुबारा किया जाएगा. वर्तमान प्रस्ताव प्रथम सर्वेक्षण के लिए है जो 2015-16 में होगा.

3.4 **समयावधि :** समझौता ज्ञापन निष्पादित करने के बाद 6 माह के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना होगा.

3.5 **मोटे तौर पर सर्वेक्षण में निम्नलिखित पहलू शामिल किए जाएंगे:**

• खेती करने वाले परिवारों की आस्तियां और अन्य विशेषताएँ

• उत्पादन, उपभोग आदि पर परिवार का व्यय

• ऋण, बचत, बीमा, प्रेषण, भुगतान और पेंशन को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन

•ऋण की उपलब्धता – ऋणग्रस्तता की स्थिति, ऋण राशि - फ़्लो और स्टॉक, एजेंसियां, ऋण शर्तें, ऋण लागत आदि

• ऋण का उपयोग - कृषि और अनुषंगी सेक्टर में उत्पादन और पूंजी निर्माण

• सूक्ष्म वित्त से संबन्धित जानकारी

संकेतकों की विस्तृत सूची अनुबंध I में दी गई है. सूची अनंतिम है.

4. महत्त्वपूर्ण जानकारी

4.1 ईओआई नोटिस के जवाब में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले आवेदक ईओआई दस्तावेज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें. इस नोटिस के जवाब में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि प्रस्ताव इस दस्तावेज़ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और परीक्षण करने के बाद इसके निबंधनों, शर्तों और निहितार्थों को पूरी तरह समझते हुए प्रस्तुत किया गया है.

4.2 आवेदकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण के अनुसार, प्रस्ताव के पूर्व जानकारी देने के लिए आयोजित की जाने वाली बैठक, यदि कोई हो, में अवश्य शामिल हों.

क्र. सं.	सूचना	विवरण
1	ईओआई सं. और तारीख	ईओआई संदर्भ: नाबार्ड / वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण - 2015-16, अगस्त 2015.
2	किसी स्पष्टीकरण के लिए लिखित प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**28 अगस्त 2015 1700 बजे तक** मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग (डीईएआर), 24 - सी, नाबार्ड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. ईमेल आईडी: nafis@nabard.com और nabnafis@gmail.com.
3	प्रस्ताव-पूर्व जानकारी देने की तारीख	4 सितंबर 2015 को 2.00 अपराहन
4	www.nabard.org पर मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब	11 सितंबर 2015
5	ईओआई प्रस्तावों की प्रस्तुति की अंतिम तारीख	24 सितंबर 2015 को 05.00 बजे अप.
6	ईओआई नोटिस के जवाब में प्रस्ताव किसे और किस पते पर प्रस्तुत करना है	मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग (डीईएआर), 24 - सी, नाबार्ड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. मुख्य : nafis@nabard.org वैकल्पिक : nabnafis@gmail.com
7	प्राप्त ईओआई को खोलना	28 सितंबर 2015 को 10.30 पू. मुमप्र, डीईएआर, नाबार्ड, मुंबई कार्यालय में.
8	आवेदन पत्रों की छंटाई	बाद में सूचित किया जाएगा

9	आरएफ़पी जारी करना	बाद में सूचित किया जाएगा

5. काम का दायरा

5.1 नमूने का आकार और सूची में दिए गए संकेतक अनंतिम हैं और इन्हें सर्वेक्षण शुरू होने के पहले परिमार्जित किया जाएगा. प्रश्नावली और सर्वेक्षण के अन्य साधन तैयार करने, डमी तालिकाएं और रिपोर्ट तैयार करने और फील्ड स्टाफ की भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने की ज़िम्मेदारी एजेंसी की होगी.

5.2 सौंपे जाने वाले परिणाम होंगे, ऐसे फॉर्मेट में आंकड़े जिनका उपयोग आसानी से किया जा सके, महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और विविध पहलुओं पर रिपोर्ट.

5.3 शामिल किए जाने वाले संकेतक :

अ. आजीविका संबंधी

•सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

- •सामाजिक स्थिति
- •साक्षरता जनसांख्यिकीय प्रोफाइल
- •व्यवसाय की स्थिति

•कार्य प्रोफाइल

- •उद्यम मिश्र
- •संसाधन उपयोग - अपने स्रोत से या उधार से?
- •प्रतिफल – विपणन व्यवस्थाएं, कीमत वसूलना आदि

•सुविधाओं तक पहुंच

- •निकटतम आउटलेट से दूरी
- •पोस्ट ऑफिस, बैंक, राजस्व कार्यालय, संचार और परिवहन सुविधाओं, बाजार आदि तक पहुंच

आ. वित्तीय समावेशन संबंधी

बचत

- बचत के महत्त्व के बारे में जागरूकता
- विभिन्न कालखण्डों में प्रति परिवार बचत
- बचत के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग

- अनौपचारिक समूहों के माध्यम से बचत
- प्रत्येक परिवार में बचत खातों की संख्या
- स्त्री, पुरुष और विविध आयुवर्ग के बैंक खाते
- बैंक खातों में लेन-देन की बारंबारता
- बैंकिंग लेन-देन के लिए एटीएम का उपयोग

ऋण

- संस्थागत ऋण का लाभ लेने वाले सीमांत और छोटे किसानों का %
- प्रति हेक्टेयर लिया गया कृषि ऋण और बकाया राशि
- ऋण ग्रस्तता का स्तर - प्रति परिवार ऋण राशि
- प्रति 1000 फार्म परिवारों पर केसीसी
- औपचारिक ऋण की उपलब्धता - स्रोतवार - औपचारिक और अनौपचारिक - जिसमें सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह आदि सम्मिलित हों.
- परिवार द्वारा लिये ऋण की मात्रा - स्रोतवार और गतिविधि वार
- नियोजन - प्राप्त ऋण का उपयोग
- ऋण का स्रोत - औपचारिक/ अनौपचारिक/ बैंक/ एमएफआई
- ऋण की शर्तें - ब्याज और गैर-ब्याज
- प्राप्त ऋण की प्रकृति
- ऋण सुविधाएं न लेने के कारण
- बैंकिंग सेवाओं के प्रति परिवारों का नज़रिया

सूक्ष्म वित्त की प्रगति

- प्रति लाख (संगत) आबादी/ क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह/ जेएलजी
- बचत अथवा ऋण से जुड़े स्वयं सहायता समूह
- ऋण/ स्वयं सहायता समूह
- बचत/ स्वयं सहायता समूह
- बहुविध सदस्यता तथा स्वयं सहायता समूह/ जेएलजी से ऋण.

भुगतान और अंतरण

- विभिन्न माध्यमों से भुगतान एवं अंतरण के प्रति जागरुकता - बैंकिंग और गैर-बैंकिंग - डाकघरों और अनौपचारिक चैनलों सहित.

- भुगतान के लिए चेक का प्रयोग
- इलेक्ट्रोनिक भुगतानों का प्रयोग
- ऐसी भुगतान और अंतरण सेवाओं के प्रयोग की बारंबारता

बीमा और पेंशन

- बीमा के प्रति जागरुकता
- बीमा का कवरेज
- बीमा की प्रकृति
- बीमा प्रीमियम - स्वयं का अंशदान/ सब्सिडी प्राप्त
- पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज - सामाजिक सुरक्षा और स्वैच्छिक के अंतर्गत
- बीमा न लेने के कारण

वित्तीय साक्षरता

- लक्ष्य समूह की वित्तीय साक्षरता का स्तर
- विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात् एफएलसी, सीबी, को-ऑपरेटिव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के वित्तीय साक्षरता प्रयासों का स्तर
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग

बैंकिंग सेवाएं प्राप्ति की सुविधा

- क्या बैंकिंग सेवाएं बेखौफ उपलब्ध है.
- बैंकिंग स्थान से भौगोलिक समीपता, बीसी/बीएफ अथवा पक्के भवन वाली शाखा
- क्या दूरी हतोत्साहित नहीं करती है ?
- एक बैंकिंग सेवा लेने के लगने वाला औसत समय अर्थात् खाता खोलना, ऋण प्राप्त करना आदि.

6. पात्रता मानदण्ड

आरआईएफ जारी करने के लिए अल्पसूचीबद्ध की जानेवाली एजेंसियों को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होता है :

6.1 केवल पंजीकृत एजेंसी/ शिक्षण संस्थान/ नीति अनुसंधान संस्थान/ अनुसंधान से जुड़ी पंजीकृत सोसायटी ही आवेदन करने की पात्र है.

6.2 संस्थान/ संगठन ने आवेदन की दिनांक को न्यूनतम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों.

6.3 एजेंसी/ संस्थान/ संगठन को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जैसे बृहद सर्वेक्षण करने का पूर्व अनुभव प्राप्त होना चाहिए और उसके विवरण देने चाहिए.

6.4 चूंकि सर्वेक्षण को हर तीन वर्ष में दोहराना है अत: एजेंसी को बाजार में लंबे समय तक बने रहने वाली एजेंसी होना चाहिए और उसने अपनी क्षमता सिद्ध की हो एवं उसके पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हों.

6.5 एजेंसी बिड राशि के 5% के बराबर एक निष्पादन गारंटी देने की स्थिति में है जो कार्य की समाप्ति तक वैध बनी रहे.

6.6 एजेंसी के पास अधिमानत: स्थायी योग्यता प्राप्त प्रमुख कोर स्टाफ होना चाहिए.

7. समय-सीमा

एमओयू पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से 6 महीने के भीतर ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण का कार्य हर प्रकार से पूर्ण हो जाना चाहिए.

8. सर्वेक्षण की भौगोलिक कवरेज

8.1 29 राज्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्गीकरण के मुताबिक अखिल भारतीय टियर 3 से टियर 6 केन्द्र अर्थात् जहां जनसंख्या <50,000 हो.

9. रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अप्रोच पेपर

एजेंसी को मूल्यांकन मानदण्ड ध्यान में रखते हुए ए4 साइज के अधिकतम 5 पृष्ठों का का अप्रोच पेपर नीचे दिए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :

9.1 अप्रोच और प्रक्रिया

इस भाग में एजेंसी को सर्वेक्षण के प्रयोजनों की अपनी समझ, सर्वेक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित करने की अप्रोच और प्रक्रिया (सर्वेक्षण शेड्यूल, कार्य एवं श्रमशक्ति योजना तथा समय-सीमा) और प्रत्याशित आउटपुट समझाएंगी. सर्वेक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता और

संगठनात्मक अनुभव का उल्लेख किया जाए तथा सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण कार्य का अनुभव, यदि हो, बताया जाए.

9.2 मानव संसाधन

एजेंसी द्वारा प्रतिबद्ध प्रोजेक्ट टीम के विवरण दिए जाएंगे - प्रोजेक्ट में उनकी व्यक्तिश: भूमिका और जिम्मेदारियां और उनका अनुभव, टीम में न्यूनतम एक प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेस्टिशियन, फील्ड सर्वेक्षण प्रबंधक और डाटा विश्लेषक का रिपोर्ट लेखन विशेषज्ञ होने चाहिए. एजेंसी अपने द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले क्षेत्र स्टाफ के विवरण दे सकती है.

10. भुगतान निबंधन और शर्तें

10.1 प्रस्ताव है कि आरएफपी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित एजेंसी/सियों का सुपुर्दगी (डेलीवरेबल्स) आधारित भुगतान किया जाए. इसके विवरण आरएफपी में दिए जाएंगे.

11. साक्ष्य एवं दस्तावेज

11.1 पंजीकरण के विवरण/ प्रति

11.2 पिछली बैलेंस शीट

11.3 बृहद सर्वेक्षण तथा अन्य संबंधित प्रोजेक्ट/ कार्य का पिछले अनुभवों का प्रमाण

11.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान वैसे ही क्षेत्र के प्रोजेक्ट(टों) का मूल्य, यदि कोई हो.

11.5 अध्ययन के लिए प्रस्तावित टीम तथा फील्ड फोर्स के लिए आयोजना.

11.6 अध्ययन/ सर्वेक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोफेशनल का सीवी.

11.7 उपर्युक्त महत्वपूर्ण प्रोफेशनलों की हस्ताक्षरित सहमति.

11.8 सौंपे गए कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सुविधाएं.

12. प्रतिक्रिया की पूर्णता

12.1 एजेंसी को सूचित किया जाता है कि वह सभी निर्देशों, फार्मों, अपेक्षाओं और ईओआई में दी गई अन्य जानकारियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें. यह माना जाएगा कि ईओआई को सावधानीपूर्वक पढ़ने और उसके निहितार्थों को समझने के पश्चात् ही ईओआई प्रस्तुत किया गया है.

12.2 इस ईओआई का उत्तर हर तरह से पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए. यदि ईओआई में मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है अथवा प्रस्ताव इस दस्तावेज से पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं होता है तो उसकी जोखिम आवेदक पर होगी तथा इसके कारण उसका प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है.

13. ईओआई प्रस्ताव बनाने की लागत और उससे जुड़े मुद्दे

13.1 एजेंसी इस प्रक्रिया में सहभागिता करने से संबंधित सभी लागतों के लिए जिम्मेदार होगी. इससे सूचनात्मक तथा अन्य अध्यवसाय गतिविधियों के संचालन, बैठकों/ चर्चाओं/ प्रजेन्टेशन्स में सहभागिता, प्रस्ताव तैयार करने, मूल्यांकन प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा मांगी गई किसी अतिरिक्त जानकारी देने में आने वाली लागतें आदि शामिल होंगी. ईओआई प्रक्रिया या उसमें परिणामों को ध्यान में रखे बिना नाबार्ड ऐसी लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा.

13.2 यह ईओआई नाबार्ड को आरएफसी जारी करने अथवा ठेका देने अथवा निगोशिएशन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं बनाता है. आगे, किसी ठेका/ संविदा मिलने अथवा ईओआई तैयार करने की प्रत्याशा में कोई प्रतिपूर्ति योग्य खर्च न किया जाए.

13.3 एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सभी सामग्रियां नाबार्ड की संपत्ति बन जाएगी और उसके विवेकाधिकार से उसे पूर्णतया लौटाया जा सकता है.

13.4 एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में तैयार एवं प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन, कच्चे एवं संशोधित फार्मेट में समेकित आंकड़े, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट, प्रकरण अध्ययन और कोई अन्य बौद्धिक संपदा/ डेलीवरेबल्स नाबार्ड की संपत्ति होगी और ऐसे डेलीवरेबल्स में बौद्धिक संपदा अधिकार नाबार्ड को प्राप्त होंगे. नाबार्ड की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एजेंसी द्वारा उपर्युक्त जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी. नाबार्ड की सहमति या अनुमति के बिना यदि ऐसी जानकारी के उद्घाटित करने के कारण यदि कोई हानि, व्यय या नुकसान होता है तो एजेंसी को उसका हर्जाना नाबार्ड को देना होगा.

13.5 एजेंसियों को प्रोजेक्ट/ सर्वेक्षण समाप्त/ पूर्ण होने से पहले नाबार्ड को सभी दस्तावेज/ डेलीवरेबल्स की प्रतियां और सॉफ्ट कॉपी उनकी विस्तृत अनुसूची के साथ देना होगा. एजेंसी

इन दस्तावेजों को नाबार्ड के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करेगी.

14. जिज्ञासाएं/ प्रश्न

14.1 सभी जिज्ञासाएं ईमेल से पूर्व में निर्दिष्ट नाबार्ड के नोडल अधिकारी को 28 अगस्त 2015 को अपराह्न 17.00 बजे तक भेज दें.

14.2 नाबार्ड एजेंसी के साथ बिड से पहले एक बैठक आयोजित करके ईओआई से संबंधित जिज्ञासाओं को स्पष्ट करता है. एजेंसी को ऐसी बैठक के लिए ईमेल से अपने प्रश्न/ जिज्ञासाएं "NAFIS : Pre-bid queries" विषयांकित करके भेजनी होंगी.

14.3 ईओआई चरण पर उठने वाली जिज्ञासाएं ईओआई से ही संबंधित होंगी तथा कार्य की व्याप्ति, भुगतान की शर्तें एवं चयन प्रक्रिया से जुड़ी बातों पर विचार नहीं किया जाएगा. इन मुद्दों को आरएफपी चरण में स्पष्ट किया जाएगा.

14.4 एजेंसी के ईओआई से संबंधित प्रश्न/ जिज्ञासाएं ईओआई में निर्दिष्ट संपर्क व्यक्ति को ही निर्देशित की जानी चाहिए.

14.5 उपर्युक्त उल्लिखित संपर्क व्यक्ति को ईमेल से लिखित में प्रश्न भेजे जाएं. टेलीफोन कॉल पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में नाबार्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि आवेदक के प्रश्नों का जवाब दिया जाए.

आवेदकों के प्रश्नों का जवाब निम्नलिखित फार्मेट में दिया जायेगा

क्र. सं.	पृष्ठ	धारा	उप धारा	विवरण	ईओआई का वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण चाहिए	वांछित स्पष्टीकरण

14.6 ईओआई प्राप्त होने की अंतिम तारीख से पूर्व, किसी भी समय, नाबार्ड किसी भी कारण से चाहे अपनी स्वयं की पहल पर या किसी संभावित आवेदक द्वारा आवेदित स्पष्टीकरण के उत्तर में, शुद्धिपत्र के माध्यम से ईओआई प्रलेख में संशोधन कर सकता है.

14.7 शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) और सभी आवेदकों से प्राप्त पृच्छाओं के स्पष्टीकरण ऑनलाइन www.nabad.org पर पोस्ट किए जाएंगे.

14.8 इस प्रकार के किसी भी शुद्धिपत्र को इस ईओआई में शामिल किया गया माना जाएगा.

14.9 संभावित आवेदकों को शुद्धिपत्र को ध्यान में लेने के लिए समुचित समय देने के उद्देश्य नाबार्ड अपने विवेकानुसार ईओआई प्रस्तावों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है.

15. <u>प्रक्रिया को निरस्त करने का नाबार्ड का अधिकार</u>

15.1 बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नाबार्ड ईओआई प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है. नाबार्ड स्पष्ट अथवा निहित रूप से कोई वायदा नहीं करता है कि यह इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यावसायिक लेन-देन होगा.

15.2 इस ईओआई से नाबार्ड द्वारा कोई प्रस्ताव निर्मित नहीं होता है. इस प्रक्रिया में आवेदक की सहभागिता का परिणाम हो सकता है बशर्ते संस्थाओं/संगठनों की छंटाई की अन्य शर्ते पूरी होती हों.

15.3 किसी प्रकार की लाबिंग करने अथवा नाबार्ड के अधिकारियों और नाबार्ड द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों से संपर्क करने से संबंधित एजेन्सी अपात्र हो जाएगी.

15.4 नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सर्वेक्षण के संपूर्ण कार्य अथवा उसके किसी भाग का उप-ठेका नहीं दिया जा सकता है, केवल ठेके के आधार पर स्टॉफ रखा जा सकता है जो एजेन्सी के मुख्य स्टॉफ के मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं. ठेके पर रखे गए स्टॉफ को किसी भी स्थिति में नाबार्ड का कर्मचारी नहीं माना जाएगा. एजेन्सी इस प्रकार का कार्य करने के लिए सभी कानूनों का पालन करेगी और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा दी जानेवाली अनुमति प्राप्त करेगी तथा चयनित एजेन्सी द्वारा इनका पालन न करने के लिए किसी प्रकार की क्षति, लागत अथवा किए जाने वाले खर्चों के समक्ष नाबार्ड को क्षतिपूर्ति करेगी.

15.5 एजेन्सी सर्वेक्षण के साधन तथा नाबार्ड के साथ परामर्श करके कल्पित तालिकाएं, रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी.

16. <u>उत्तर प्रस्तुत करना</u>

16.1 आवेदन एक सील लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएंगे. लिफाफे, पर "नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति" लिखा होगा तथा उसे 24 सितंबर 2015 तक जमा किया जा सकता है. इस लिफाफे में ईओआई प्रस्ताव की एक

हार्ड कापी होनी चाहिए. लिफाफे पर एजेन्सी का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आईडी एवं फैक्स नम्बर तथा वेबसाइट यूआरएल स्पष्ट रूप से दिया गया होना चाहिए.

16.2 आवेदन के साथ पूर्व-योग्यता (प्रि-क्वालीफिकेशन) खंड में यथा परिभाषित समर्थक साक्ष्य और प्रलेख दिए जाएंगे.

16.3 एजेन्सी विभिन्न टेम्प्लेट्स (फार्म 1 से फार्म 3) सहित ईओआई में यथा इंगित सभी आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत करेगी. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस ईओआई में इंगित विभिन्न प्रारूपों का पालन किया जाता है और प्रारूपों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए.

16.4 प्रलेख में पृष्ठ संख्या डाली गई हो, पृष्ठ संख्या सहित विषय-सूची अनिवार्य रूप से दी गई हो और एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए हों.

16.5 एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रलेख संक्षिप्त होना चाहिए एवं उसमें केवल यथा वांछित उचित सूचनाएं दी गई हों.

17 ईओआई फार्मेट जमा करना

17.1 संपूर्ण प्रस्ताव कड़ाई से इस रूचि दिखने के आमंत्रण में निर्धारित प्रारूप में होगा और किसी भी विचलन का परिणाम ईओआई प्रस्ताव को अस्वीकार करने के रूप में हो सकता है.

18. स्थान एवं जमा करने की अंतिम तिथि

18.1 प्रस्ताव निर्धारित पते पर निर्धारित समय 24 सितंबर 2015 को 5.00 बजे अपराह्न तक अनिवार्यत: प्राप्त हो जाने चाहिए.

18.2 24 सितंबर 2015 को 5.00 बजे अपराह्न के बाद नाबार्ड को प्राप्त कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार किया जाएगा.

18.3 तार/फैक्स/ई-मेल आदि के माध्यम से जमा किए गए ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

18.4 किसी भी प्रकार की डाक से हुई देरी अथवा प्रलेखों के प्राप्त न होने/सुपुर्दगी न होने के लिए नाबार्ड जिम्मेदार नहीं होगा. इस विषय में आगे किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

18.5 परियोजना की प्राथमिकताओं के साथ-साथ तत्काल प्रतिबद्धताओं के आधार पर ऊपर दी शर्तों/मानदण्डों में कोई भी संशोधन और परिवर्तन करने का नाबार्ड का अधिकार सुरक्षित है.

19. <u>चयन सूची मानदण्ड</u>

19.1 नाबार्ड ईओआई के आधार पर एक मूल्यांकन समिति के माध्यम से संस्थाओं/संगठनों का चयन करेगा.

19.2 आवेदक द्वारा ईओआई प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी प्रयास का परिणाम उसके ईओआई प्रस्ताव को अस्वीकार करने के रूप में हो सकता है.

20. <u>मूल्यांकन प्रक्रिया</u>

20.1. आवेदकों से प्राप्त उत्तरों के मूल्यांकन के लिए नाबार्ड एक मूल्यांकन समिति का गठन करेगा.

20.2 नाबार्ड द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ईओआई के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों और सभी समर्थक प्रलेखों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में असमर्थता का परिणाम ईओआई प्रस्ताव का अस्वीकरण होगा. समिति जैसा आवश्यक समझें अतिरिक्त प्रलेख मांग सकती है.

20.3 प्रत्येक उत्तर का मूल्यांकन अर्हता पूर्व मानदण्डों, प्रारूपों और इस प्रलेख में निर्धारित समर्थक प्रलेखों के अनुपालन की पुष्टि के लिए होगा.

20.4 रूचि दिखाने के उत्तरों के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा. समिति की मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

20.5 ठेका देने के लिए आवेदक की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति प्रस्तुतीकरण/ बैठकों के लिए कह सकती है.

20.6 बिना कोई कारण बताए एजेन्सियों के किसी अथवा सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का मूल्यांकन समिति का अधिकार सुरक्षित है.

20.7 ईओआई प्रस्ताव का मूल्यांकन उपलब्ध कराए गए प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा और निम्नलिखित मोटे मानदण्डों के आधार पर अंक दिए जाएंगे:

क्र.सं.	विवरण	मूल्यांकन हेतु अंक
i	एजेन्सी की पृष्ठभूमि	10%
ii	आवेदक द्वारा पूरी की गई परियोजनाएं/सर्वेक्षण-पूर्व-अनुभव	40%
iii	ठेके में लगाए जाने वाले प्रोफेशनलों की योग्यताएं/अनुभव और श्रमशक्ति	20%
iv	प्रस्ताव हेतु कार्यप्रक्रिया एवं दृष्टिकोण	20%
v	आधारभूत सुविधाएं/प्रोद्योगिक क्षमता	10%

21. <u>चयन की अधिसूचना</u>

21.1 नाबार्ड चुने गए सभी आवेदकों को ई-मेल और स्पीड पोस्ट से सूचित करेगा.

21.2 केवल चुने गए आवेदकों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया जाएगा.

22. <u>विवाद निपटान एवं विवाचन:</u>

22.1 उठनेवाले सभी विवाद केवल मुंबई स्थित समुचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत होंगे, और भारत के कानूनों से अधिशासित होंगे.

23. <u>ईओआई जमा करने का फार्म</u>

23.1 आवेदकों से अपेक्षा है कि वे इस खंड में दिए गए फार्मो का उपयोग करके ईओआई का उत्तर दें और अर्हतापूर्व/ईओआई मानदंडों के समर्थन में सभी प्रलेख लगाएं.

23.2 प्रस्ताव/अर्हतापूर्व आवेदन में निम्नलिखित फार्म होंगे:-

फार्म-1 : प्रेषण पत्र, जोकि एजेन्सी के पत्र शीर्ष पर हो तथा उसमें एजेन्सी के परिचालन एवं व्यवसाय का विवरण दिया गया हो.

फार्म-2 : अर्हतापूर्व मानदंडों के लिए अनुपालन पत्रक

फार्म-3 : परियोजना में लगाए जानेवाले मुख्य प्रोफेशनलों के सीवी का प्रारूप (प्रत्येक प्रोफेशनल के लिए अलग फार्म का उपयोग किया जाए)

[फॉर्म 1: कवरिंग पत्र, एजेंसी के लेटरहेड पर मुद्रित किया जाए]

<u>एजेंसी के परिचालन और व्यवसाय का विवरण</u>

दिनांक :

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक,
आर्थिक विश्लेषण एवं अनुसंधान विभाग (डीईएआर),
4-सी, नाबार्ड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051

ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए सर्वेक्षण करने हेतु किसी एजेंसी की सेवाएँ लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

महोदय,

ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए सर्वेक्षण करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किसी एजेंसी की सेवाएँ लेने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिनांक _____, को रुचि की अभिव्यक्ति करने के लिए नोटिस के संदर्भ में हम कार्य शुरू करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करना चाहते हैं. हमारे संगठन से संबंधित विवरण नाबार्ड द्वारा विचार के लिए नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं	**एजेंसी/संगठन/संस्था का विवरण**	
1	एजेंसी का नाम और पूरा डाक पता:	नाम: पता:
2	एजेंसी / संस्था / संगठन के प्रमुख का संपर्क विवरण	नाम: पदनाम: फोन नंबर:

<table>
<tr><td></td><td></td><td>फ़ैक्स नहीं.
ईमेल पता:</td></tr>
<tr><td>3</td><td>इस ईओआई के प्रयोजन के लिए नोडल व्यक्ति का संपर्क विवरण</td><td>नाम:

पदनाम:
फोन नंबर:
फ़ैक्स नहीं.
ईमेल पता:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पंजीकरण संख्या और वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>संगठन की प्रकृति अर्थात क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार का स्वायत्त निकाय है/ शैक्षिक या अनुसंधान संस्था है.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>संगठन के उद्देश्य (क़ानून / आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आदि के अनुसार)</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>कार्य के मुख्य क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>क्षेत्रीय / राज्य कार्यालयों का विवरण, यदि कोई हो</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>संगठन के नियमित कर्मचारियों की संख्या</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">संवर्ग</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>निदेशक स्तर / प्रशासनिक</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>शैक्षणिक / बाजार अनुसंधान</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुख्य प्रबंध कार्मिक</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>लेखा और वित्त</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>सहयोगी कर्मचारी - वर्ग</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>संगठन का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक बजट/ टर्न ओवर</td><td>
<table>
<tr><td>2012-13</td><td>2013-14</td><td>2014-15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12	पूर्व में की गई परियोजनाओं का विवरण, मोटे तौर पर प्रस्तावित सर्वेक्षण की तरह (i) परियोजना/ओं का नाम व स्वरूप (ii) प्रारंभ होने का वर्ष (iii) परियोजना की लागत (iv) परियोजना के तहत संगठन द्वारा अर्जित शुल्क (v) जिम्मेदारी का स्वरूप (vi) किस संगठन के लिए किया गया (vii) पूरी होने का वर्ष. (viii) निष्पादन की मुख्य मुख्य बातें - प्रशंसा योग्य / उत्कृष्ट उपलब्धियां, यदि कोई हो.	
13	क्या संगठन को कभी किसी मंत्रालय केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभाग से कोई अनुदान सहायता मिली है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें. (i) किस वर्ष प्राप्त हुई (ii) कौन सी योजना के लिए प्राप्त हुई (iii) मंत्रालय / विभाग / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार का नाम. (iv) प्रयोजन (v) राशि	
14	क्या संगठन को कभी केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें.	

15	अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संगठन होने के अपने दावे के समर्थन में संस्था जो प्रस्तुत करना चाहती है, उसका विवरण.	
16	कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक जानकारी जिसे संगठन प्रस्तुत करना चाहती है.	

<u>संलग्न :</u>

i. संबंधित कानून के तहत संगठन / संस्था के पंजीकरण की प्रति.

ii. यथा लागू उनके आर्टिकल ऑफ असोसियशन/ उपनियमों / विनियमों की प्रति

iii. संगठन / संस्था के पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट,

iv. संगठन / संस्था के पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते.

ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं.

भवदीय

स्थान:

दिनांक:

(संगठन की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

नाम :

पता :

फॉर्म 2: योग्यता-पूर्व मानदंड के लिए अनुपालन शीट

क्रम संख्या	बुनियादी आवश्यकता	आवश्यक दस्तावेज़	बशर्ते	संदर्भ और पृष्ठ संख्या
1	एजेंसी की श्रेणी: शैक्षणिक संस्थान / नीति अनुसंधान संस्थान / गैर लाभ संगठन / पंजीकृत सोसायटी	1. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजेंसी की श्रेणी का उल्लेख है 2. एजेंसी का प्रोफ़ाइल	हां / नहीं हां / नहीं	
2	संस्था/ संगठन आवेदन की तारीख पर कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में होना चाहिए	पंजीकरण की तारीख सहित पंजीकरण की प्रति	हां / नहीं	
3	पिछले दो वर्षों के दौरान कार्य से संबंधित कम से कम दो परियोजनाएं पूरी की हुई होनी चाहिए	प्रकाशित सामग्री और कार्य आदेश की एक प्रति	हां / नहीं	
4	संसाधनों के नियोजन करने की आंतरिक क्षमता जो परियोजना को संचालित करेगी :	पेशेवरों के सीवी	हां / नहीं	
5	परियोजना शीर्ष / प्रबंधक जिसके पास 10 + वर्ष का कुल अनुभव है और उसमें परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रबंधन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है	पेशेवरों के सीवी	हां / नहीं	
6	सांख्यिकीविद् जिसके पास सांख्यिकीय विश्लेषण और एक समान प्रकार के सर्वेक्षण / परियोजनाओं की डिजाइन के नमूने के साथ में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है.	पेशेवरों के सीवी	हां / नहीं	

7	बड़े क्षेत्र सर्वेक्षण के संचालन में कम से कम 5 साल के अनुभव वाले पेशेवर	पेशेवरों के सीवी	हां / नहीं	
8	विश्लेषण, रिपोर्ट और अध्ययन के मामले में लेखन में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाले पेशेवर	पेशेवरों के सीवी	हां / नहीं	
9	दायरा और कार्यप्रणाली पर नोट के बारे में विचार	कार्यप्रणाली पर नोट	हां / नहीं	
10	इंफ्रा और तकनीकी क्षमता	नोट	हां / नहीं	

<u>फॉर्म 3: परियोजना में तैनात किए जाने वाले पेशेवरों के सीवी के लिए प्रारूप</u>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पेशेवर का नाम :</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योग्यता (केवल स्नातक और ऊपर)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कार्य अनुभव के कुल वर्ष:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>संबंधित अनुभव के कुल वर्ष:</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रमुख विशेषज्ञता (अर्थात परियोजना प्रबंधन, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण और नमूना लेना, आदि.)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ज्ञात भाषाएँ:</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रकाशन</td></tr>
<tr><td>8</td><td>कार्य इतिहास (वर्तमान से पिछला)</td></tr>
<tr><td>8a</td><td><u>वर्तमान</u></td></tr>
<tr><td></td><td>पदनाम:</td></tr>
<tr><td></td><td>संस्था :</td></tr>
<tr><td></td><td>अवधि : से दिन/माह/वर्ष से : दिन/माह/वर्ष तक</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रमुख कार्य जिम्मेदारियाँ : केवल संबंधित अनुभव दिए जाए</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>परियोजनाएं जिनका संचालन किया गया</th><th>परियोजना में भूमिका</th><th>ग्राहक</th><th>दल का आकार (यदि कोई)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8b</td><td><u>पिछला</u></td></tr>
<tr><td></td><td>पदनाम:</td></tr>
<tr><td></td><td>संस्था :</td></tr>
<tr><td></td><td>अवधि : से दिन/माह/वर्ष से : दिन/माह/वर्ष तक</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रमुख कार्य जिम्मेदारियाँ : केवल संबंधित अनुभव दिए जाए</td></tr>
</table>

	परियोजनाएं जिनका संचालन किया गया	परियोजना में भूमिका	ग्राहक	दल का आकार (यदि कोई)
9	कोई अन्य (स्पष्टीकरण, प्राप्त प्रशिक्षण आदि)			

ईओआई विलेख समाप्त

****